

उत्तराखण्ड शासन
कार्मिक अनुभाग-2
संख्या-348/XXX(2)/2016-03(02)का0-2/2010
देहरादून: २२ दिसम्बर, 2016

अधिसूचना
प्रकीर्ण

राज्यपाल, "भारत का संविधान" के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करके, "उत्तराखण्ड राज्याधीन सेवाओं के अन्तर्गत लिपिक वर्गीय संवर्ग के पदों पर पदोन्नति हेतु पात्रता अवधि का निर्धारण नियमावली, 2015" में संशोधन करने की उद्देश्य से निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं:-

उत्तराखण्ड राज्याधीन सेवाओं के अन्तर्गत लिपिक वर्गीय संवर्ग के पदों पर पदोन्नति हेतु पात्रता अवधि का निर्धारण (संशोधन) नियमावली, 2016

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ

1- (1) इस नियमावली का संक्षिप्त नाम 'उत्तराखण्ड राज्याधीन सेवाओं के अन्तर्गत लिपिक वर्गीय संवर्ग के पदों पर पदोन्नति हेतु पात्रता अवधि का निर्धारण (संशोधन) नियमावली, 2016' है।

(2) यह तुरन्त प्रवृत्त होगी।

नियम 4 के 4(1) का संशोधन

2- उत्तराखण्ड राज्याधीन सेवाओं के अन्तर्गत लिपिक वर्गीय संवर्ग के पदों पर पदोन्नति हेतु पात्रता अवधि का निर्धारण नियमावली, 2015 के नियम 4 के उपनियम 4(1) में, नीचे स्तम्भ-1 में दिये गये विद्यमान उप नियम के स्थान पर स्तम्भ-2 में दिया गया उप नियम रख दिया जायेगा, अर्थात्-

स्तम्भ-1

विद्यमान नियम

4(1)- मुख्य प्रशासनिक अधिकारी-मौलिक रूप से नियुक्त ऐसे वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी, जिन्होंने भर्ती के वर्ष के प्रथम दिवस को इस रूप में न्यूनतम 01 वर्ष की सेवा पूर्ण कर ली हो तथा अधीनस्थ पदों पर कम से कम 25 वर्ष की सेवा पूर्ण की हो, में से 'श्रेष्ठता' के आधार पर पदोन्नति द्वारा।

स्तम्भ-2

एतद्वारा प्रतिस्थापित नियम

4(1)- मुख्य प्रशासनिक अधिकारी-मौलिक रूप से नियुक्त ऐसे वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी, जिन्होंने भर्ती के वर्ष के प्रथम दिवस को इस रूप में न्यूनतम 01 वर्ष की सेवा पूर्ण कर ली हो तथा अधीनस्थ पदों पर कम से कम 25 वर्ष की सेवा पूर्ण की हो, में से "अनुपयुक्त को अस्वीकार करते हुए ज्येष्ठता" के आधार पर पदोन्नति द्वारा।

आज्ञा से,

(अरविन्द सिंह हयॉकी)
प्रभारी सचिव



सरकारी गजट, उत्तराखण्ड

उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग-4, खण्ड (ख)
(परिनियत आदेश)

देहरादून, बृहस्पतिवार, 09 अप्रैल, 2015 ई0

चैत्र 19, 1937 शक सम्वत्

उत्तराखण्ड शासन

कार्मिक अनुभाग-2

संख्या 153/XXX(2)/2015-2(2) 2010

देहरादून, 09 अप्रैल, 2015

अधिसूचना

प्रकीर्ण

प0 आ0-33

राज्यपाल, "भारत का संविधान" के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करके, "उत्तराखण्ड राज्याधीन सेवाओं के अन्तर्गत लिपिक वर्गीय संवर्ग के पदों पर पदोन्नति हेतु पात्रता अवधि का निर्धारण नियमावली, 2011" में संशोधन करने की दृष्टि से निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं:-

उत्तराखण्ड राज्याधीन सेवाओं के अन्तर्गत लिपिक वर्गीय संवर्ग के पदों पर पदोन्नति हेतु
पात्रता अवधि का निर्धारण (संशोधन) नियमावली, 2015

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ

- (1) इस नियमावली का संक्षिप्त नाम 'उत्तराखण्ड राज्याधीन सेवाओं के अन्तर्गत लिपिक वर्गीय संवर्ग के पदों पर पदोन्नति हेतु पात्रता अवधि का निर्धारण (संशोधन) नियमावली, 2015' है।

- (2) यह तुरन्त प्रवृत्त होगी।

नियम 3(ड) का संशोधन

2. उत्तराखण्ड राज्याधीन सेवाओं के अन्तर्गत लिपिक वर्गीय संवर्ग के पदों पर पदोन्नति हेतु पात्रता अर्हता का निर्धारण नियमावली, 2011 के नियम 3(ड) में, नीचे स्तम्भ-1 में दिये गये विद्यमान उप नियम के स्थान पर स्तम्भ-2 में दिया गया उप नियम रख दिया जायेगा, अर्थात्-

स्तम्भ-1

वर्तमान नियम

3(ड) "अधीनस्थ पदों" से कनिष्ठ सहायक, प्रवर सहायक, मुख्य सहायक तथा प्रशासनिक अधिकारी में से किन्हीं पदों पर की गई सेवा अभिप्रेत है।

स्तम्भ-2

एतद्वारा प्रतिस्थापित नियम

3(ड) "अधीनस्थ पदों" से कनिष्ठ सहायक, वरिष्ठ सहायक, प्रधान सहायक, प्रशासनिक अधिकारी एवं वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी में से किन्हीं पदों पर की गई सेवा अभिप्रेत है।

नियम 4 का संशोधन

3. मूल नियमावली में नीचे स्तम्भ-1 में दिये गये वर्तमान नियम के स्थान पर स्तम्भ-2 में दिया गया नियम रख दिया जायेगा-

स्तम्भ-1

वर्तमान नियम

4. लिपिक वर्गीय कर्मचारी संवर्ग के पदोन्नति के पदों पर प्रोन्नति हेतु पात्रता सम्बन्धी अर्हकारी सेवावधि का निर्धारण:-

4(1) वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी- मौलिक रूप से नियुक्त ऐसे प्रशासनिक अधिकारी, जिन्होंने भर्ती के वर्ष के प्रथम दिवस को इस रूप में न्यूनतम 02 वर्ष की सेवा पूर्ण कर ली हो अथवा अधीनस्थ पदों पर कम से कम 20 वर्ष की सेवा पूर्ण की हो, में से अनुपयुक्त को अस्वीकार करते हुए ज्येष्ठता के आधार पर पदोन्नति द्वारा।

स्तम्भ-2

एतद्वारा प्रतिस्थापित नियम

4. लिपिक वर्गीय कर्मचारी संवर्ग के पदोन्नति के पदों पर प्रोन्नति हेतु पात्रता सम्बन्धी अर्हकारी सेवावधि का निर्धारण:-

4(1) मुख्य प्रशासनिक अधिकारी- मौलिक रूप से नियुक्त ऐसे वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी, जिन्होंने भर्ती के वर्ष के प्रथम दिवस को इस रूप में न्यूनतम 1 वर्ष की सेवा पूर्ण कर ली हो तथा अधीनस्थ पदों पर कम से कम 25 वर्ष की सेवा पूर्ण की हो, में से ज्येष्ठता के आधार पर पदोन्नति द्वारा।

4(2) वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी- मौलिक रूप से नियुक्त ऐसे प्रशासनिक अधिकारी, जिन्होंने भर्ती के वर्ष के प्रथम दिवस को इस रूप में न्यूनतम 2 वर्ष की सेवा पूर्ण कर ली हो अथवा अधीनस्थ पदों पर कम से कम 20 वर्ष की सेवा पूर्ण की हो, में से अनुपयुक्त को अस्वीकार करते हुए ज्येष्ठता के आधार पर पदोन्नति द्वारा।

4(2) प्रशासनिक अधिकारी- मौलिक रूप से नियुक्त ऐसे मुख्य सहायक, जिन्होंने भर्ती के वर्ष के प्रथम दिवस को इस रूप में न्यूनतम 03 वर्ष की सेवा पूर्ण कर ली हो अथवा अधीनस्थ पदों पर कम से कम 17 वर्ष की सेवा पूर्ण की हो, में से अनुपयुक्त को अस्वीकार करते हुए ज्येष्ठता के आधार पर पदोन्नति द्वारा।

4(3) प्रशासनिक अधिकारी- मौलिक रूप से नियुक्त ऐसे मुख्य सहायक, जिन्होंने भर्ती के वर्ष के प्रथम दिवस को इस रूप में न्यूनतम 03 वर्ष की सेवा पूर्ण कर ली हो अथवा अधीनस्थ पदों पर कम से कम 17 वर्ष की सेवा पूर्ण की हो, में से अनुपयुक्त को अस्वीकार करते हुए ज्येष्ठता के आधार पर पदोन्नति द्वारा।

4(3) मुख्य सहायक- मौलिक रूप से नियुक्त ऐसे प्रवर सहायक, जिन्होंने भर्ती के वर्ष के प्रथम दिवस को इस रूप में न्यूनतम 03 वर्ष की सेवा पूर्ण कर ली हो तथा अधीनस्थ पदों पर कम से कम 10 वर्ष की सेवा पूर्ण की हो, में से अनुपयुक्त को अस्वीकार करते हुए ज्येष्ठता के आधार पर पदोन्नति द्वारा।

4(4) प्रधान सहायक- मौलिक रूप से नियुक्त ऐसे प्रवर सहायक, जिन्होंने भर्ती के वर्ष के प्रथम दिवस को इस रूप में न्यूनतम 03 वर्ष की सेवा पूर्ण कर ली हो तथा अधीनस्थ पदों पर कम से कम 10 वर्ष की सेवा पूर्ण की हो, में से अनुपयुक्त को अस्वीकार करते हुए ज्येष्ठता के आधार पर पदोन्नति द्वारा।

4(4) प्रवर सहायक- मौलिक रूप से नियुक्त ऐसे कनिष्ठ सहायक, जिन्होंने भर्ती के वर्ष के प्रथम दिवस को इस रूप में न्यूनतम 06 वर्ष की सेवा पूर्ण कर ली हो, में से अनुपयुक्त को अस्वीकार करते हुए ज्येष्ठता के आधार पर पदोन्नति द्वारा।

4(5) वरिष्ठ सहायक- मौलिक रूप से नियुक्त ऐसे कनिष्ठ सहायक, जिन्होंने भर्ती के वर्ष के प्रथम दिवस को इस रूप में न्यूनतम 6 वर्ष की सेवा पूर्ण कर ली हो, में से अनुपयुक्त को अस्वीकार करते हुए ज्येष्ठता के आधार पर पदोन्नति द्वारा।

नियम 5 का संशोधन

4. मूल नियमावली में नीचे स्तम्भ-1 में दिये गये वर्तमान नियम के स्थान पर स्तम्भ-2 में दिया गया नियम रखा दिया जायेगा-

स्तम्भ-1
वर्तमान नियम

5. पदनाम परिवर्तन- नियम 2 के अधधीन रहते हुए राज्य सरकार के नियंत्रण में सभी विभागों में, जहाँ-जहाँ पदनाम, कनिष्ठ लिपिक, वरिष्ठ लिपिक, वरिष्ठ सहायक, मुख्य लिपिक, कार्यालय अधीक्षक/ प्रधान लिपिक/ मुख्य लिपिक-1/प्रशासनिक अधिकारी एवं वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी हैं, वहाँ-वहाँ पदनाम क्रमशः कनिष्ठ सहायक, प्रवर सहायक, मुख्य सहायक, प्रशासनिक अधिकारी एवं वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी होगा।

स्तम्भ-2
एतद्वारा प्रतिस्थापित नियम

5. पदनाम परिवर्तन- नियम 2 के अधधीन रहते हुए राज्य सरकार के नियंत्रण में सभी विभागों में, जहाँ-जहाँ पदनाम कनिष्ठ सहायक, प्रवर सहायक, मुख्य सहायक, प्रशासनिक अधिकारी एवं वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी हैं, वहाँ-वहाँ पदनाम क्रमशः कनिष्ठ सहायक, वरिष्ठ सहायक, प्रधान सहायक, प्रशासनिक अधिकारी, वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी एवं मुख्य प्रशासनिक अधिकारी होगा।

आज्ञा रो.

पी०एस० जंगपांगी,
सचिव।

उत्तराखण्ड शासन
कार्मिक अनुभाग-2
संख्या-44/XXX(2)/2013-3(2)2010
देहरादून 10 जनवरी, 2013

अधिसूचना
प्रकीर्ण

संक्षेपार्थ, "भारत का संविधान" के अनुच्छेद 309 के परन्तुक्त द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करके "उत्तराखण्ड राज्याधीन सेवाओं के अन्तर्गत लिपिक वर्गीय संवर्ग के पदों पर पदोन्नति हेतु पात्रता अवधि का निर्धारण नियमावली, 2011" में संशोधन करने के उद्देश्य से निम्नलिखित नियमावली बनाई है:-

उत्तराखण्ड राज्याधीन सेवाओं के अन्तर्गत लिपिक वर्गीय संवर्ग के पदों पर पदोन्नति हेतु पात्रता अवधि का निर्धारण (प्रथम संशोधन) नियमावली, 2013

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ

- 1- (1) इस नियमावली का संक्षिप्त नाम उत्तराखण्ड राज्याधीन सेवाओं के अन्तर्गत लिपिक वर्गीय संवर्ग के पदों पर पदोन्नति हेतु पात्रता अवधि का निर्धारण (प्रथम संशोधन) नियमावली, 2013 है।

(2) यह तुरन्त प्रवृत्त होगी।

नियम 4(3) का संशोधन

2. उत्तराखण्ड राज्याधीन सेवाओं के अन्तर्गत लिपिक वर्गीय संवर्ग के पदों पर पदोन्नति हेतु पात्रता अवधि का निर्धारण नियमावली, 2011 के नियम 4 के उपनियम (3) में, नीचे स्तम्भ-1 में दिये गये विद्यमान उप नियम के स्थान पर स्तम्भ-2 में दिया गया उप नियम रख दिया जायेगा, अर्थात्-

स्तम्भ-1

विद्यमान नियम

(2)- मुख्य सहायक- मौलिक रूप से नियुक्त ऐसे प्रवर सहायक, जिन्होंने भर्ती के वर्ष के प्रथम दिवस को इस रूप में न्यूनतम 05 वर्ष की सेवा पूर्ण कर ली हो तथा अधीनस्थ पदों पर कम से कम 10 वर्ष की सेवा पूर्ण की हो, में से अनुपयुक्त को अस्वीकार करते हुए ज्येष्ठता के आधार पर पदोन्नति द्वारा।

स्तम्भ-2

एतद्वारा प्रतिस्थापित नियम

(3)- मुख्य सहायक- मौलिक रूप से नियुक्त ऐसे प्रवर सहायक, जिन्होंने भर्ती के वर्ष के प्रथम दिवस को इस रूप में न्यूनतम 03 वर्ष की सेवा पूर्ण कर ली हो तथा अधीनस्थ पदों पर कम से कम 10 वर्ष की सेवा पूर्ण की हो, में से अनुपयुक्त को अस्वीकार करते हुए ज्येष्ठता के आधार पर पदोन्नति द्वारा।

आज्ञा से,

6
(सुरेन्द्र सिंह रायत),
सचिव।

आधिसूचना
प्रकीर्ण

राज्यपाल, "भारत का संविधान" के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रस्तुत शक्तियों का प्रयोग करके और इस विषय पर समस्त विद्यमान नियमों और आदेशों का अधीक्षण करते हुए उत्तराखण्ड राज्यधीन सेवाओं के अन्तर्गत लिपिक वर्गीय संवर्ग के पदों पर पदोन्नति हेतु पात्रता की अवधि को विनियमित करने के लिये निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं:-

उत्तराखण्ड राज्यधीन सेवाओं के अन्तर्गत लिपिक वर्गीय संवर्ग के पदों पर पदोन्नति हेतु पात्रता अवधि का निर्धारण नियमावली, 2011

संक्षिप्त नाम
और प्रारम्भ

- 1.(1) इस नियमावली का संक्षिप्त नाम उत्तराखण्ड राज्यधीन सेवाओं के अन्तर्गत लिपिक वर्गीय संवर्ग के पदों पर पदोन्नति हेतु पात्रता अवधि का निर्धारण नियमावली, 2011 है।
- (2) यह तुरन्त प्रवृत्त होगी।
- (3) नियम 2 के अध्याधीन रहते हुए यह नियमावली लोक सेवा आयोग के क्षेत्रान्तर्गत पदों के सिवाय, राज्यपाल के निराम बनाने की शक्ति के अधीन लिपिक वर्गीय संवर्ग के पदोन्नति स्लैटे के पदों पर लागू होगी।

अध्यक्षों प्रभाव

2. इस नियमावली द्वारा सरकार के नियंत्रण में सभी अधीनस्थ कार्यालयों में लिपिक वर्गीय पदों पर पदोन्नति हेतु अर्हता (जिन्हें पदोन्नति द्वारा भरा जाना अपेक्षित हो) और लोक सेवा आयोग की परिधि से बाहर हो, आच्छादित होगी, किन्तु इसके उपबन्ध उत्तराखण्ड सचिवालय, राज्य विधान सभा, लोकायुक्त, लोक सेवा आयोग, उच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय के महाधिवक्ता के कार्यालय और उसके नियंत्रण में अधिष्ठान के पद आच्छादित नहीं होंगे।

परिभाषाएं

3. जब तक विषय या शब्दार्थ में कोई प्रतिकूल बात न हो, इस नियमावली में:-
 - (क) "संविधान" से "भारत का संविधान" अभिप्रेत है;
 - (ख) "राज्यपाल" से उत्तराखण्ड राज्य के राज्यपाल अभिप्रेत है;
 - (ग) "सरकार" से उत्तराखण्ड राज्य की सरकार अभिप्रेत है;
 - (घ) "लिपिक वर्गीय कर्मचारी संवर्ग" से राज्य सरकार के नियंत्रण में सभी अधीनस्थ कार्यालयों में ऐसे लिपिक वर्गीय कर्मचारी अभिप्रेत हैं, जो वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी, प्रशासनिक अधिकारी, मुख्य सहायक, प्रवर सहायक तथा कमिष्ठ सहायक के पदों पर नियुक्त हों;

MS-Word 2003/2007/2010/2013/2016/2019/2021/2022/2023/2024/2025/2026/2027/2028/2029/2030/2031/2032/2033/2034/2035/2036/2037/2038/2039/2040/2041/2042/2043/2044/2045/2046/2047/2048/2049/2050/2051/2052/2053/2054/2055/2056/2057/2058/2059/2060/2061/2062/2063/2064/2065/2066/2067/2068/2069/2070/2071/2072/2073/2074/2075/2076/2077/2078/2079/2080/2081/2082/2083/2084/2085/2086/2087/2088/2089/2090/2091/2092/2093/2094/2095/2096/2097/2098/2099/2100/2101/2102/2103/2104/2105/2106/2107/2108/2109/2110/2111/2112/2113/2114/2115/2116/2117/2118/2119/2120/2121/2122/2123/2124/2125/2126/2127/2128/2129/2130/2131/2132/2133/2134/2135/2136/2137/2138/2139/2140/2141/2142/2143/2144/2145/2146/2147/2148/2149/2150/2151/2152/2153/2154/2155/2156/2157/2158/2159/2160/2161/2162/2163/2164/2165/2166/2167/2168/2169/2170/2171/2172/2173/2174/2175/2176/2177/2178/2179/2180/2181/2182/2183/2184/2185/2186/2187/2188/2189/2190/2191/2192/2193/2194/2195/2196/2197/2198/2199/2200/2201/2202/2203/2204/2205/2206/2207/2208/2209/2210/2211/2212/2213/2214/2215/2216/2217/2218/2219/2220/2221/2222/2223/2224/2225/2226/2227/2228/2229/2230/2231/2232/2233/2234/2235/2236/2237/2238/2239/2240/2241/2242/2243/2244/2245/2246/2247/2248/2249/2250/2251/2252/2253/2254/2255/2256/2257/2258/2259/2260/2261/2262/2263/2264/2265/2266/2267/2268/2269/2270/2271/2272/2273/2274/2275/2276/2277/2278/2279/2280/2281/2282/2283/2284/2285/2286/2287/2288/2289/2290/2291/2292/2293/2294/2295/2296/2297/2298/2299/2300/2301/2302/2303/2304/2305/2306/2307/2308/2309/2310/2311/2312/2313/2314/2315/2316/2317/2318/2319/2320/2321/2322/2323/2324/2325/2326/2327/2328/2329/2330/2331/2332/2333/2334/2335/2336/2337/2338/2339/2340/2341/2342/2343/2344/2345/2346/2347/2348/2349/2350/2351/2352/2353/2354/2355/2356/2357/2358/2359/2360/2361/2362/2363/2364/2365/2366/2367/2368/2369/2370/2371/2372/2373/2374/2375/2376/2377/2378/2379/2380/2381/2382/2383/2384/2385/2386/2387/2388/2389/2390/2391/2392/2393/2394/2395/2396/2397/2398/2399/2400/2401/2402/2403/2404/2405/2406/2407/2408/2409/2410/2411/2412/2413/2414/2415/2416/2417/2418/2419/2420/2421/2422/2423/2424/2425/2426/2427/2428/2429/2430/2431/2432/2433/2434/2435/2436/2437/2438/2439/2440/2441/2442/2443/2444/2445/2446/2447/2448/2449/2450/2451/2452/2453/2454/2455/2456/2457/2458/2459/2460/2461/2462/2463/2464/2465/2466/2467/2468/2469/2470/2471/2472/2473/2474/2475/2476/2477/2478/2479/2480/2481/2482/2483/2484/2485/2486/2487/2488/2489/2490/2491/2492/2493/2494/2495/2496/2497/2498/2499/2500/2501/2502/2503/2504/2505/2506/2507/2508/2509/2510/2511/2512/2513/2514/2515/2516/2517/2518/2519/2520/2521/2522/2523/2524/2525/2526/2527/2528/2529/2530/2531/2532/2533/2534/2535/2536/2537/2538/2539/2540/2541/2542/2543/2544/2545/2546/2547/2548/2549/2550/2551/2552/2553/2554/2555/2556/2557/2558/2559/2560/2561/2562/2563/2564/2565/2566/2567/2568/2569/2570/2571/2572/2573/2574/2575/2576/2577/2578/2579/2580/2581/2582/2583/2584/2585/2586/2587/2588/2589/2590/2591/2592/2593/2594/2595/2596/2597/2598/2599/2600/2601/2602/2603/2604/2605/2606/2607/2608/2609/2610/2611/2612/2613/2614/2615/2616/2617/2618/2619/2620/2621/2622/2623/2624/2625/2626/2627/2628/2629/2630/2631/2632/2633/2634/2635/2636/2637/2638/2639/2640/2641/2642/2643/2644/2645/2646/2647/2648/2649/2650/2651/2652/2653/2654/2655/2656/2657/2658/2659/2660/2661/2662/2663/2664/2665/2666/2667/2668/2669/2670/2671/2672/2673/2674/2675/2676/2677/2678/2679/2680/2681/2682/2683/2684/2685/2686/2687/2688/2689/2690/2691/2692/2693/2694/2695/2696/2697/2698/2699/2700/2701/2702/2703/2704/2705/2706/2707/2708/2709/2710/2711/2712/2713/2714/2715/2716/2717/2718/2719/2720/2721/2722/2723/2724/2725/2726/2727/2728/2729/2730/2731/2732/2733/2734/2735/2736/2737/2738/2739/2740/2741/2742/2743/2744/2745/2746/2747/2748/2749/2750/2751/2752/2753/2754/2755/2756/2757/2758/2759/2760/2761/2762/2763/2764/2765/2766/2767/2768/2769/2770/2771/2772/2773/2774/2775/2776/2777/2778/2779/2780/2781/2782/2783/2784/2785/2786/2787/2788/2789/2790/2791/2792/2793/2794/2795/2796/2797/2798/2799/2800/2801/2802/2803/2804/2805/2806/2807/2808/2809/2810/2811/2812/2813/2814/2815/2816/2817/2818/2819/2820/2821/2822/2823/2824/2825/2826/2827/2828/2829/2830/2831/2832/2833/2834/2835/2836/2837/2838/2839/2840/2841/2842/2843/2844/2845/2846/2847/2848/2849/2850/2851/2852/2853/2854/2855/2856/2857/2858/2859/2860/2861/2862/2863/2864/2865/2866/2867/2868/2869/2870/2871/2872/2873/2874/2875/2876/2877/2878/2879/2880/2881/2882/2883/2884/2885/2886/2887/2888/2889/2890/2891/2892/2893/2894/2895/2896/2897/2898/2899/2900/2901/2902/2903/2904/2905/2906/2907/2908/2909/2910/2911/2912/2913/2914/2915/2916/2917/2918/2919/2920/2921/2922/2923/2924/2925/2926/2927/2928/2929/2930/2931/2932/2933/2934/2935/2936/2937/2938/2939/2940/2941/2942/2943/2944/2945/2946/2947/2948/2949/2950/2951/2952/2953/2954/2955/2956/2957/2958/2959/2960/2961/2962/2963/2964/2965/2966/2967/2968/2969/2970/2971/2972/2973/2974/2975/2976/2977/2978/2979/2980/2981/2982/2983/2984/2985/2986/2987/2988/2989/2990/2991/2992/2993/2994/2995/2996/2997/2998/2999/3000/3001/3002/3003/3004/3005/3006/3007/3008/3009/3010/3011/3012/3013/3014/3015/3016/3017/3018/3019/3020/3021/3022/3023/3024/3025/3026/3027/3028/3029/3030/3031/3032/3033/3034/3035/3036/3037/3038/3039/3040/3041/3042/3043/3044/3045/3046/3047/3048/3049/3050/3051/3052/3053/3054/3055/3056/3057/3058/3059/3060/3061/3062/3063/3064/3065/3066/3067/3068/3069/3070/3071/3072/3073/3074/3075/3076/3077/3078/3079/3080/3081/3082/3083/3084/3085/3086/3087/3088/3089/3090/3091/3092/3093/3094/3095/3096/3097/3098/3099/3100/3101/3102/3103/3104/3105/3106/3107/3108/3109/3110/3111/3112/3113/3114/3115/3116/3117/3118/3119/3120/3121/3122/3123/3124/3125/3126/3127/3128/3129/3130/3131/3132/3133/3134/3135/3136/3137/3138/3139/3140/3141/3142/3143/3144/3145/3146/3147/3148/3149/3150/3151/3152/3153/3154/3155/3156/3157/3158/3159/3160/3161/3162/3163/3164/3165/3166/3167/3168/3169/3170/3171/3172/3173/3174/3175/3176/3177/3178/3179/3180/3181/3182/3183/3184/3185/3186/3187/3188/3189/3190/3191/3192/3193/3194/3195/3196/3197/3198/3199/3200/3201/3202/3203/3204/3205/3206/3207/3208/3209/3210/3211/3212/3213/3214/3215/3216/3217/3218/3219/3220/3221/3222/3223/3224/3225/3226/3227/3228/3229/3230/3231/3232/3233/3234/3235/3236/3237/3238/3239/3240/3241/3242/3243/3244/3245/3246/3247/3248/3249/3250/3251/3252/3253/3254/3255/3256/3257/3258/3259/3260/3261/3262/3263/3264/3265/3266/3267/3268/3269/3270/3271/3272/3273/3274/3275/3276/3277/3278/3279/3280/3281/3282/3283/3284/3285/3286/3287/3288/3289/3290/3291/3292/3293/3294/3295/3296/3297/3298/3299/3300/3301/3302/3303/3304/3305/3306/3307/3308/3309/3310/3311/3312/3313/3314/3315/3316/3317/3318/3319/3320/3321/3322/3323/3324/3325/3326/3327/3328/3329/3330/3331/3332/3333/3334/3335/3336/3337/3338/3339/3340/3341/3342/3343/3344/3345/3346/3347/3348/3349/3350/3351/3352/3353/3354/3355/3356/3357/3358/3359/3360/3361/3362/3363/3364/3365/3366/3367/3368/3369/3370/3371/3372/3373/3374/3375/3376/3377/3378/3379/3380/3381/3382/3383/3384/3385/3386/3387/3388/3389/3390/3391/3392/3393/3394/3395/3396/3397/3398/3399/3400/3401/3402/3403/3404/3405/3406/3407/3408/3409/3410/3411/3412/3413/3414/3415/3416/3417/3418/3419/3420/3421/3422/3423/3424/3425/3426/3427/3428/3429/3430/3431/3432/3433/3434/3435/3436/3437/3438/3439/3440/3441/3442/3443/3444/3445/3446/3447/3448/3449/3450/3451/3452/3453/3454/3455/3456/3457/3458/3459/3460/3461/3462/3463/3464/3465/3466/3467/3468/3469/3470/3471/3472/3473/3474/3475/3476/3477/3478/3479/3480/3481/3482/3483/3484/3485/3486/3487/3488/3489/3490/3491/3492/3493/3494/3495/3496/3497/3498/3499/3500/3501/3502/3503/3504/3505/3506/3507/3508/3509/3510/3511/3512/3513/3514/3515/3516/3517/3518/3519/3520/3521/3522/3523/3524/3525/3526/3527/3528/3529/3530/3531/3532/3533/3534/3535/3536/3537/3538/3539/3540/3541/3542/3543/3544/3545/3546/3547/3548/3549/3550/3551/3552/3553/3554/3555/3556/3557/3558/3559/3560/3561/3562/3563/3564/3565/3566/3567/3568/3569/3570/3571/3572/3573/3574/3575/3576/3577/3578/3579/3580/3581/3582/3583/3584/3585/3586/3587/3588/3589/3590/3591/3592/3593/3594/3595/3596/3597/3598/3599/3600/3601/3602/3603/3604/3605/3606/3607/3608/3609/3610/3611/3612/3613/3614/3615/3616/3617/3618/3619/3620/3621/3622/3623/3624/3625/3626/3627/3628/3629/3630/3631/3632/3633/3634/3635/3636/3637/3638/3639/3640/3641/3642/3643/3644/3645/3646/3647/3648/3649/3650/3651/3652/3653/3654/3655/3656/3657/3658/3659/3660/3661/3662/3663/3664/3665/3666/3667/3668/3669/3670/3671/3672/3673/3674/3675/3676/3677/3678/3679/3680/3681/3682/3683/3684/3685/3686/3687/3688/3689/3690/3691/3692/3693/3694/3695/3696/3697/3698/3699/3700/3701/3702/3703/3704/3705/3706/3707/3708/3709/3710/3711/3712/3713/3714/3715/3716/3717/3718/3719/3720/3721/3722/3723/3724/3725/3726/3727/3728/3729/3730/3731/3732/3733/3734/3735/3736/3737/3738/3739/3740/3741/3742/3743/3744/3745/3746/3747/3748/3749/3750/3751/3752/3753/3754/3755/3756/3757/3758/3759/3760/3761/3762/3763/3764/3765/3766/3767/3768/3769/3770/3771/3772/3773/3774/3775/3776/3777/3778/3779/3780/3781/3782/3783/3784/3785/3786/3787/3788/3789/3790/3791/3792/3793/3794/3795/3796/3797/3798/3799/3800/3801/3802/3803/3804/3805/3806/3807/3808/3809/3810/3811/3812/3813/3814/3815/3816/3817/3818/3819/3820/3821/3822/3823/3824/3825/3826/3827/3828/3829/3830/3831/3832/3833/3834/3835/3836/3837/3838/3839/3840/3841/3842/3843/3844/3845/3846/3847/3848/3849/3850/3851/3852/3853/3854/3855/3856/3857/3858/3859/3860/3861/3862/3863/3864/3865/3866/3867/3868/3869/3870/3871/3872/3873/3874/3875/3876/3877/3878/3879/3880/3881/3882/3883/3884/3885/3886/3887/3888/3889/3890/3891/3892/3893/3894/3895/3896/3897/3898/3899/3900/3901/3902/3903/3904/3905/3906/3907/3908/3909/3910/3911/3912/3913/3914/3915/3916/3917/3918/3919/3920/3921/3922/3923/3924/3925/3926/3927/3928/3929/3930/3931/3932/3933/3934/3935/3936/3937/3938/3939/3940/3941/3942/3943/3944/3945/3946/3947/3948/3949/3950/3951/3952/3953/3954/3955/3956/3957/3958/3959/3960/3961/3962/3963/3964/3965/3966/3967/3968/3969/3970/3971/3972/3973/3974/3975/3976/3977/3978/3979/3980/3981/3982/3983/3984/3985/3986/3987/3988/3989/3990/3991/3992/3993/3994/3995/3996/3997/3998/3999/4000/4001/4002/4003/4004/4005/4006/4007/4008/4009/4010/4011/4012/4013/4014/4015/4016/4017/4018/4019/4020/4021/4022/4023/4024/4025/4026/4027/4028/4029/4030/4031/4032/4033/4034/4035/4036/4037/4038/4039/4040/4041/4042/4043/4044/4045/4046/4047/4048/4049/4050/4051/4052/4053/4054/4055/4056/4057/4058/4059/4060/4061/4062/4063/4064/4065/4066/4067/4068/4069/4070/4071/4072/4073/4074/4075/4076/4077/4078/4079/4080/4081/4082/4083/4084/4085/4086/4087/4088/4089/4090/4091/4092/4093/4094/4095/4096/4097/4098/4099/4100/4101/4102/4103/4104/4105/4106/4107/4108/4109/4110/4111/4112/4113/4114/4115/4116/4117/4118/4119/4120/4121/4122/4123/4124/4125/4126/4127/4128/4129/4130/4131/4132/4133/4134/4135/4136/4137/4138/4139/4140/4141/4142/4143/4144/4145/4146/4147/4148/4149/4150/4151/4152/4153/4154/4155/4156/4157/4158/4159/4160/4161/4162/4163/4164/4165/4166/4167/4168/4169/4170/4171/4172/4173/4174/4175/4176/4177/4178/4179/4180/4181/4182/4183/4184/4185/4186/4187/4188/4189/4190/4191/4192/4193/4194/4195/4196/4197/4198/4199/4200/4201/4202/4203/4204/4205/4206/4207/4208/4209/4210/4211/4212/4213/4214/4215/4216/4217/4218/4219/4220/4221/4222/4223/4224/4225/4226/4227/4228/4229/4230/4231/4232/4233/4234/4235/4236/4237

(ख) "अधीनस्थ पदों" से कनिष्ठ सहायक, प्रवर सहायक, मुख्य लिपिक तथा प्रशासनिक अधिकारी में से किसी पर भी कोई गड़बड़ा अभिप्रेत है।

लिपिक वर्गीय कर्मचारी
संवर्ग के पदोन्नति के पदों
पर प्रोन्नति हेतु पात्रता
सामान्यी अधिकारी सेवावधि
का निर्धारण।

4. (1) वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी—

मौलिक रूप से नियुक्त ऐसे प्रशासनिक अधिकारी, जिन्होंने भर्ती के वर्ष के प्रथम दिवस को इस रूप में न्यूनतम 02 वर्ष की सेवा पूर्ण कर ली हो अथवा अधीनस्थ पदों पर कम से कम 20 वर्ष की सेवा पूर्ण की हो, में से अनुपयुक्त को अस्वीकार करते हुए ज्येष्ठता के आधार पर पदोन्नति द्वारा।

(2) प्रशासनिक अधिकारी—

मौलिक रूप से नियुक्त ऐसे मुख्य सहायक, जिन्होंने भर्ती के वर्ष के प्रथम दिवस को इस रूप में न्यूनतम 03 वर्ष की सेवा पूर्ण कर ली हो अथवा अधीनस्थ पदों पर कम से कम 17 वर्ष की सेवा पूर्ण की हो, में से अनुपयुक्त को अस्वीकार करते हुए ज्येष्ठता के आधार पर पदोन्नति द्वारा।

(3) मुख्य सहायक—

मौलिक रूप से नियुक्त ऐसे प्रवर सहायक, जिन्होंने भर्ती के वर्ष के प्रथम दिवस को इस रूप में न्यूनतम 05 वर्ष की सेवा पूर्ण कर ली हो तथा अधीनस्थ पदों पर कम से कम 11 वर्ष की सेवा पूर्ण की हो, में से अनुपयुक्त को अस्वीकार करते हुए ज्येष्ठता के आधार पर पदोन्नति द्वारा।

(4) प्रवर सहायक—

मौलिक रूप से नियुक्त ऐसे कनिष्ठ सहायक, जिन्होंने भर्ती के वर्ष के प्रथम दिवस को इस रूप में न्यूनतम 08 वर्ष की सेवा पूर्ण कर ली हो, में से अनुपयुक्त को अस्वीकार करते हुए ज्येष्ठता के आधार पर पदोन्नति द्वारा।

पदनाम परिवर्तन

5. नियम 2 के अध्याधीन रहते हुए राज्य सरकार के नियंत्रण में सभी विभागों में, जहाँ-जहाँ पदनाम, कनिष्ठ लिपिक, वरिष्ठ लिपिक, वरिष्ठ सहायक, मुख्य लिपिक, कार्यालय अधीक्षक/प्रधान लिपिक/ मुख्य लिपिक-1/प्रशासनिक अधिकारी एवं वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी हैं, वहाँ-वहाँ पदनाम क्रमशः कनिष्ठ सहायक, प्रवर सहायक, मुख्य सहायक, प्रशासनिक अधिकारी एवं वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी होगा।

आज्ञा से
(उत्तम कुमार सिंह)
मुख्य सचिव।